दिनाक 04.05.2026 — पत्रावली पेश हुई ।

अप्रार्थी संख्या 5 के नोटिस तामिल शुदा पेश। आवेदक पूनमाराम पुत्र बुद्धाराम निवासी 02 अभयगढ केन्द्रीय विद्यालय नबर 01 एयरफोर्स के सामने रातानाडा जोधपुर मय अधिवक्ता उप. होकर प्रार्थना पत्र वास्ते पक्षकार बनाने बाबत् इस आधार पर मय दस्तावेजात पेश किया कि प्रकरण वर्णित अप्रार्थी संख्या 5 खीमीबाई पत्नि भगवान सिंह के नाम पर दर्ज खसरा नबर 884 की भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 31.03.1995 के द्वारा उक्त खीमी बाई के पति भगवान सिंह पुत्र भूताजी से आवेदक पूनमाराम ने क्रय की हुई है और तब से आवेदक का बतौर खातेदार उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। आवेदक के उक्त आवेदन पर प्रकरण के प्रार्थी अधिवक्ता एव आवेदक पूनमाराम के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस आवेदक पूनमाराम के अधिवक्ता ने कथन किया कि खसरा 884 की भूमि के सबंध में खीमी बाई के जरिये उक्त प्रकरण की जानकारी होते ही उनके द्वारा आवेदन पेश किया गया है तथा खसरा सख्या 884 की भूमि की किस्म आवासीय है। जिस बाबत तहसीलदार आबूरोड के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 17.12.1993 की प्रति संलग्न की है तथा उक्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद उक्त प्रकरण गलत रूप से पेश किया गया है जो इसी स्तर पर खारिज योग्य है। आवेदक पूनमाराम के अधिवक्ता ने विकल्प में निवेदन किया कि यदि श्रीमान न्यायालय इसी स्तर पर प्रकरण को खारिज नही करते है तो न्यायहित में आवेदक को पक्षकार बनाकर समुचित जवाब पेश करने का अवसर दिया जावें।

प्रकरण के प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदक पूनमाराम के अधिवक्ता के उक्त तर्को का अस्वीकार कर कथन किया कि जमाबंदी अनुसार खसरा 884 की भूमि का खातेदार खीमी बाई का नाम दर्ज होने से उनको पक्षकार बनाया गया है। जिस कारण आवेदक पूनमाराम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें एवं प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही की जावें।

उभय पक्ष बहस पर मनन करने व आवेदक पूनमाराम की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 884 की भूमि की किस्म तहसीलदार आबूरोड के आदेश दिनांक 17.12.1993 के अनुसार आवासीय हो चुकी है। तथा खसरा संख्या 884 की भूमि को आवासीय किस्म के रूप में ही आवेदक पूनमाराम द्वारा दिनांक 31.03.1995 को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये भगवान सिंह पुत्र भूताजी से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थी पंकज मोदी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र इस स्तर पर परिपोषणीय नही होने से अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। साथ ही न्यायहित मे प्रार्थी पकज मोदी को इस आशय की स्वतत्रता दिया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है कि यदि वह कृषि भूमि के सबंध में रास्ते हेतु सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित करते हुये भविष्य मे नया प्रार्थना पत्र रास्ते हेतु पेश करना चाहे तो वह उस हेतु स्वतंत्र रहेगे।

अत प्रार्थी पकज मोदी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र उपरोक्त कारणो से परिपोषणीय नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तथा प्रार्थी पकज मोदी को इस आशय की स्वतत्रता जाती है कि यदि वह कृषि भूमि के सबंध मे रास्ते हेतु सभी आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार सयोजित करते हुये भविष्य मे नया प्रार्थना पत्र रास्ते हेतु पेश करना चाहे तो वह उस हेतु स्वतत्र रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नबर से कम

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.05.11 17:42:31 IST
Reason: SelfAttested

04/05/26
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)